उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः 304 / XVIII(II)/2018/08(112)2017
देहरादूनः दिनांक 21 मई, 2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–127(ख) तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम–114 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम सभाओं द्वारा या उनके विरूद्ध वादों, आवेदन–पत्रों और अन्य कार्यवाहियों के, जिनके अन्तर्गत आपत्तियां, अपील, पुनरीक्षण, रिट तथा विशेष अपील भी है, के संचालन/प्रभावी पैरवी के लिए निम्नलिखित अधिवक्तागण (मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पैनल में राज्य सरकार द्वारा आबद्ध विधि अधिकारीगण) का पैनल गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
1	श्री अनुराग बिसारिया	वाद धारक
2	श्री राजीव सिंह बिष्ट	वाद धारक
3	श्रीमती प्रभा नैथानी	वाद धारक
4	श्रीमती अंजलि भार्गव	वाद धारक
5	श्री. विश्व दीपक बीसेन	वाद धारक
6	श्री अनिरूद्ध भट्ट	वाद धारक
7	श्री रंजन घिल्डियाल	वाद धारक

2– आबद्ध अधिवक्तागण को देय फीस के निर्धारण हेतु पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–304 (1)/2018/08(112)2017, एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निदेशक, मुद्रण एवं लेख सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या–301 (2)/2018/08(112)2017, एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार ग्राम सभा के हितों की रक्षा हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पैनल में नामित उपरोक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
12. संबंधित अधिवक्तागण।
13. ईरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।